न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : पर्वत सिंह चुण्डावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 104/23 (वाद)

GCMS NO: 2023/301

अनवान

1. श्री भेरा पिता श्री गोतमा रावत जाति रावत, उम्र वयस्क, निवासी नाडी चौडा माण्डकला तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.
2. श्री शंकर पिता श्री गोतमा रावत जाति रावत, उम्र वयस्क, निवासी नाडी चौडा माण्डकला तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.
3. श्रीमती लोगर बाई पुत्री श्री गोतमा रावत जाति रावत, उम्र वयस्क, निवासी नाडी चौडा माण्डकला तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.

............वादीगण

बनाम्

1. श्री गमेरा पिता श्री उदा रावत जाति रावत, उम्र वयस्क, निवासी नाडी चौडा माण्डकला तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री कैलाश चन्द्र खारिवाल, अधिवक्ता वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 188 रा0टि0ए0

–: : निर्णय : :–

दिनांक 08.01.2024

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा माण्डकला पटवार हल्का सिंहाड तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में वादीगण की आराजी नम्बर 1203 कुल किता 1 रकबा 0.8600 हैक्टयर भूमि में वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है तथा वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा है तथा वादी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा है वादीगण के अलावा उक्त आराजी में किसी भी व्यक्ति का हक हिस्सा, व कब्जा नही है उक्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी भूमि होकर विरासत से वादीगण को प्राप्त हुई है ताईद में नकल जमाबन्दी पेश हैं। प्रकरण मे वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा नही होते हुए भी प्रतिवादी संख्या 1 जबरन हम वादीगण की आराजी में अनाधिकार कब्जा करने की ऐलानिया धमकी देता है तथा मवैसी हमारी खडी फसलो में चरा [illegible] को नष्ट कर देता है खेतो की पाली पर खडे पेडों को काट कर ले जाता है तथा [illegible] लडाई झगडा कर मौके पर हमारे कब्जे कास्त में दखल अदाजी उत्पन्न करता [illegible] प्रतिवादी संख्या उक्त आराजी में कोई हक हिस्सा एवं अधिकार न[illegible] है ना ही मौके पर कोई [illegible] तथा हमारे द्वारा विरोध करने पर झुठे मुकदमे में फसाने की धमकीया देता है। दिनांक 25.

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.09 15:39:56 IST
Reason: SelfAttested

10.2023 को हम वादीगण खेत की हकाई करने के लिए खेत पर पहुचे तो प्रतिवादी संख्या 1 ने मौके पर आकर भारी लडाई झगडा किया और हम वादीगण को हमारे खातेदारी कब्जेकाश्त की आराजी से बेदखल करने की धमकी दी जिससे प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया हैं। अतः प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त आराजीयात में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया गया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जवाव पेश नहीं करना चाहा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करने का कथन कह कर स्वीकारात्मक जवाब पेश किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा। प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया तथा वाद पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर वादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करने का कथन कह कर स्वीकारात्मक जवाब पेश किया गया। हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हमने पाया की वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के नाम दर्ज होकर वादीगण खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर स्वीकारात्मक जवाब पेश किया गया हैं। प्रकरण में वादी खातेदार काश्तकार है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतित होता हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अर्न्तगत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा माण्डकला पटवार हल्का सिंहाड तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबन्दी सवंत् 2078–81 की खाता संख्या नया 52 की आराजी नम्बर 1203 कुल किता 1 रकबा 0.8600 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 दखलअंदाजी नहीं करें, फसल, बाड़, पेड़ को नुकसान नही पहुचावें तथा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2024 को खुले इजलास ... ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.09 15:39:56 IST
Reason: SelfAttested